संख्या 72 /78-2-2008-44आईटी/2006

प्रेषक,

प्रशान्त कुमार मिश्र
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉकः 11 जनवरी,2008

विषयः उत्तर प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किया जाना

महोदय,

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत चिन्हित विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं में ई-प्रोक्योरमेट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा डी.जी.एस.जी. एस.एण्ड.डी को पूरे भारतवर्ष में ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू करने हेतु नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

2 पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन हेतु डी.जी.एस.एण्ड.डी के ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश में पायलट परियोजना के रूप में प्रथम चरण में दिनॉक 1 फरवरी 2008 से 30 सितम्बर 2008 के मध्य निम्नानुसार ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

i) लोक निर्माण विभाग - रू0 एक करोड़ से अधिक मूल्य की सभी निविदायें
ii) सिंचाई विभाग - तदैव
iii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग - हाईपावर कमेटी के अन्तर्गत आने वाली सभी निविदायें
iv) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के सभी निगम - दस लाख रूपये से ऊपर के सभी निर्माण कार्य एवं सामग्री की निविदायें तथा रूपया पॉच लाख से ऊपर की सेवाओं की सभी निविदायें।
v) मुद्रण एवं लेखन विभाग - तदैव
vi) उद्योग निदेशालय - तदैव
vii) विश्व बैंक पोषित/वाह्य सहायतित सभी परियोजनायें तदैव

3 पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग मॉड्यूल के अन्तर्गत विभिन्न कार्यवाही यथा ई-रजिस्ट्रेशन, ई-कोडिंग, टेण्डर क्रियेशन, टेण्डर प्रकाशन, टेण्डर परचेज, सबमिशन, बिड ओपनिंग, बिड एवैल्युशन, एवार्ड आफ कान्ट्रैक्ट आदि समस्त कार्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से किये जायेंगे।

क्रमशः...2...

4 पायलट प्रोजेक्ट की अवधि दिनॉक 1 फरवरी 2008 से 30 सितम्बर 2008 की होगी। अवधि में कतिपय कार्यालयों द्वारा दिनॉक 1 फरवरी 2008 से ई-टेण्डरिंग प्रारम्भ करने में यदि कोइ कठिनाई अनुभव की जाती है तो ऐसे कार्यालय अधिकतम 2 माह में कठिनाइयों का निवारण कराकर ई-टेण्डरिंग प्रारम्भ कर देंगे। पायलट प्रोजेक्ट की अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त विभागों में तथा आवश्यकतानुसार अन्य विभागों में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ही निविदायें आमंत्रित की जायेंगी।

5 सर्वाधिक ~~प्रतिस्पर्द्धात्मक~~ न्यूनतम दरें प्राप्त करने के लिए अलग-अलग ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करने के बजाय सभी विभागों द्वारा डी.जी.एस.एण्ड.डी. के ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म पर ई-प्रोक्योरमेण्ट किया जायेगा। ई-प्रोक्योरमेण्ट के बिड्स एवॅं डाटा की गोपनीयता, सुरक्षा तथा अनुरक्षण का उत्तरदायित्व डी.जी.एस.एण्ड.डी. का होगा।

6 स्टोर परचेस रूल्स, टेण्डर रूल्स तथा तत्सम्बन्धी अन्य नियम उक्त श्रेणियों की ई-टेण्डरिंग में यथावत् लागू रहेंगे, मात्र इनमें प्रचलित पेपर ट्रॉजेक्शन के स्थान पर इलेक्ट्रानिक माध्यम का प्रयोग करते हुए ई-प्रक्योरमेन्ट किया जायेगा। प्रस्तावित ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया फाइनेन्शियल हैण्डबुक के अन्तर्गत विहित तथा वर्तमान स्टोर परचेस रूल्स के अनुरूप ही लागू की जा रही है एवं नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यावाही वित्त विभाग द्वारा की जा रही है।

7 डी.जी.एस.एण्ड.डी का ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का उपयोग करने हेतु टेण्डर करने वाले विभाग/कार्यालय द्वारा देय कस्टमाइजेशन शुल्क तथा टेण्डर शुल्क एवॅं सप्लायर/ठेकेदार द्वारा देय पॅजीकरण शुल्क तथा अन्य व्यय का विवरण निम्नवत् प्रदर्शित है:-

- प्रत्येक विभाग द्वारा केवल एक बार रू 25,000/- कस्टमाइजेशन शुल्क के रूप में देय होगा।
- प्रति टेण्डर आदेश मूल्य का 0.01 प्रतिशत शुल्क (न्यूनतम रू 250/- एवॅं अधिकतम रू 5,000/-) तथा अनुमन्य सेवा कर विभाग द्वारा देय होगा।
- प्रत्येक आपूर्तिकर्ता/कान्ट्रैक्टर/निविदादाता को प्रतिवर्ष रू 6,000/- की धनराशि डी.जी.एस. एण्डडी. द्वारा अधिकृत अपलीकेशन सर्विस प्रोवाइडर को देकर पॅजीयन कराना होगा जिसके आधार पर वे पूरे वर्ष तक पूरे प्रदेश में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के श्रेणीवार अनुमन्यता के आधार पर, सभी टेण्डर में भाग ले सकेंगे।
- टेण्डर से सम्बन्धित अधिकारियों तथा टेण्डर समिति के सदस्यों को तथा आपूर्तिकर्ताओं/निविदादाताओं को लगभग रू 1500/- प्रति व्यक्ति/प्रतिवर्ष की दर से शुल्क जमा करके डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
- सम्बन्धित विभाग द्वारा विभागीय कम्प्यूटर पर इन्टरनेट कनेक्शन हेतु ब्रॉड-बैण्ड/ डायल-अप कनेक्टिविटी उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायेगी।

8 डी.जी.एस.एण्ड.डी. से प्राप्त एम.ओ.यू. पर प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवॅं इलेक्ट्रानिक्स द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

9 प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेण्ट लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 (यूपीएलसी) नोडल एजेन्सी होगी। डी.जी.एस.एण्ड.डी कर्मियों हेतु कक्ष, ट्रेनिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मार्ग व्यय, ठहरने, भोजन आदि की व्यवस्था, ई-प्रोक्योरमेण्ट हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उक्त नोडल संस्था द्वारा किया जाएगा जिसके लिए उसे शासन से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता देय नहीं होगी। डी.जी.एस.एण्ड. डी को जो रेवेन्यू/शुल्क उत्तर प्रदेश से मिलेगा, उसका 20 प्रतिशत यू.पी.एल.सी. को उक्त सुविधाओं

क्रमशः...3..

के एवज में डी.जी.एस.एण्ड.डी द्वारा दिया जायेगा।

10 टेण्डर करने वाले अधिकारियों, टेण्डर समिति के सदस्यों एवं निविदादाताओं/ आपूर्तिकर्ताओं को ई-प्रोक्योरमेण्ट सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण डी.जी.एस.एण्ड.डी के अधिकारियों द्वारा यूपीएलसी के सहयोग से निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।

11 ई-प्रोक्योरमेण्ट हेतु आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर विभागीय अधिकारियों/निविदादाता द्वारा, कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाईंग अथारिटीज, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एनआईसी-नई दिल्ली, एमटीएनएल-नई दिल्ली, टीसीएस - मुम्बई, सेफ स्क्रिप्ट-चेन्नई आदि सात सर्टिफाइंग अथारिटीज अथवा उनके रजिस्टरिंग अथारिटीज में से किसी एक से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं। डी.जी.एस.एण्ड.डी द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं सप्लायर/ठेकेदारों को डिजिटल सिग्नेचर प्राप्ति तथा पंजीयन की प्रकिया में आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।

12 सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव अपनी अध्यक्षता में ई-मॉनीटरिंग सेल तत्काल बना लें और नियमित रूप से उसकी बैठकें करके ई-प्रोक्योरमेण्ट के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करायें। विभागों द्वारा सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, प्रशिक्षण एवं डिजिटल सिग्नेचर प्राप्ति आदि की समस्त कार्यवाही उपरोक्तानुसार पूर्ण कर ली जाये।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव

संख्या 72 (1) /78-2-2007-44आईटी/2006 तद्‌दिनॉक

1 मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव
2 कृषि उत्पादन आयुक्त
3 अवस्थापना एवं ओद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन
4 प्रमुख सचिव, वित्त
5 समस्त विभागाध्यक्ष
6 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
7 महालेखाकार लेखापरीक्षा - प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद
8 निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ
9 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
10 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ
11 गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(आमोद कुमार)
विशेष सचिव

07-01-2008